मरियम बनाम मोहम्मद सुल्तान वगै0

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2023/28

03.02.2023	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक प्रार्थिया उपस्थित । प्रार्थिया द्वारा न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पुनः नम्बर पर लिये जाने का कथन किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवान की अपील प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 23.08.2019 को प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । प्रार्थिया ने अपनी वृद्धावस्था व बीमार रहने का कारण बताते हुए अपील को पुनः नम्बर पर लेने बाबत् दिनांक 10.12.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय ने अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये थे और प्रार्थिया को रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करने का आदेश प्रदान किया गया । लेकिन प्रार्थिया वृद्ध होने से एकदम बीमार हो गई चलने–फिरने में असहाय होन से वह सम्मन तलबाना माननीय न्यालय में पेश न कर सकी । अतः उसकी अपील दिनांक 11.11.2022 को अदम हजारी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी । प्रार्थिया की उक्त गलती सद्भाविक है । न्यायहित में उक्त अपील को नम्बर पर लिया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे । हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थिया के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.11.2022 को उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है । प्रार्थिया ने उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 28.11.2022 को रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थिया ने न्यायालय में समय पर उपस्थित नहीं होने का कारण अपनी वृद्धावस्था तथा बीमारी होना कथन किया है । उपर्युक्त स्थिति में हम प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जावे । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दाखिल दफ्तर होकर फैसल शुमार हो । निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मनोज कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा